प्रेस विज्ञप्ति
26.02.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने 25/02/2025 को लुधियाना और चंडीगढ़ में मेसर्स रेड लीफ इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ओवरसीज पार्टनर एजुकेशन कंसल्टेंट्स और मेसर्स इन्फोविज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन और अन्य से संबंधित पांच व्यावसायिक और आवासीय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान आप्रवास सेवाएं प्रदान करने में धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 19 लाख रुपये की नकदी बरामद और जब्त की गई।

ईडी ने अमेरिकी दूतावास, नई दिल्ली के प्रवासी आपराधिक जांच कार्यालय की शिकायत के आधार पर पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें वीजा सलाहकारों मेसर्स रेड लीफ इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ओवरसीज पार्टनर एजुकेशन कंसल्टेंट्स और अन्य द्वारा की गई धोखाधड़ी गतिविधियों के बारे में बताया गया था।

ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्ययन या काम करने के इच्छुक अयोग्य वीजा आवेदकों के शिक्षा प्रमाण पत्र/अनुभव पत्रों में जालसाजी की थी और गलत कमीशन/शुल्क के बदले में वीजा आवेदन के लिए न्यूनतम खाता जमा राशि दिखाने के लिए विभिन्न वीजा आवेदकों के खातों में धनराशि स्थानांतरित की थी और उन्होंने विभिन्न तथ्यों और परिस्थितियों में हेरफेर करके विभिन्न वीजा आवेदकों को संयुक्त राज्य अमेरिका के वीजा के लिए अपनी पात्रता दिखाने में गलत तरीके से मदद की थी। ऐसी आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से, आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं ने वीजा आवेदकों से मोटी रकम वसूली और ऐसी आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से अर्जित अपराध के आगमों (पीओसी) को आगे चल और अचल संपत्तियों की खरीद में निवेश किया गया और विभिन्न बैंक खातों में डायवर्ट किया गया।

आगे की जांच जारी है।